15-04-2021

प्रेस नोट

थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त नदीम पुत्र इरफान निवासी ग्राम गांगो नगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर गैंगस्टर अधिनियम का अभियुक्त है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हीमपुरदीपा पर मु0अ0सं0 61/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 व मु0अ0सं0 26/2019 धारा 3/5/8 गौवध अत्याचार निवारण अधिनियम तथा मु0अ0सं0 109/2019 धारा 3/5/8 गौवध अत्याचार निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है अभियुक्त का क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्त्रोत भी नही है। अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर गोकशी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हुए अवैध तरीके से धन लाभ अर्जित करके मोटरसाइकिल संख्या यूपी 20 एए 1230 जिसकी कीमत 50000/रूपये है खरीदी गई।

आज दिनांक 15.04.2021 को जिलाधिकारी बिजनौर के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) की कार्यवाही के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति पर कुर्की की कार्यवाही की गयी है।

थाना नूरपुरः– दिनांक 14.04.2021 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण अमित व अतुल पुत्रगण रामोतार निवासीगण ग्राम नगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना शेरकोटः– आज दिनांक 15.04.2021 को थान शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी हरेवला उर्फ भगोता थान शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 15 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

दिनॉक 15.04.2021

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021

आज दिनांक 15.04.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियों टीम बिजनौर द्वारा बस स्टैण्ड/बाजर/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलो पर शिकंजा कसा गया व उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102**, **108**, **112**, **181**, **1076**, **1098**, **1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।